भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1,000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 776877

1

लीज-डीड

रामबालक व रामहरख पुत्रगण स्व0 मेवालाल निवासीगण मौजा चुप्पेपुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

.... प्रथम पक्षगण/भू-स्वामी

व

अमन सेन्ट्रल इंग्लिश स्कूल चुप्पेपुर छतरीपुर, वाराणसी द्वारा अमन मैरिटाइम एकेडमी छतरीपुर, चुप्पेपुर, वाराणसी बजरिए संस्था प्रबन्धक **जितेन्द्र कुमार सिंह** पुत्र श्री राम बालक निवासी चुप्पेपुर, वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/लीजग्रहिता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH AR 776876

2

विदित हो कि जायदाद तफसील जैल हम प्रथम पक्ष की भूमिधरी जायदाद है। जिसपर उसके द्वारा निर्मित कमरे बने हुए है, जिसका हम प्रथम पक्षगण स्वामी मालिक व काबिज दखील है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका सहखातेदार या स्वामी हीं है न तो किसी अन्य व्यक्ति से जायदाद तफसील जैल से किसी किस्म का वास्ता, ख्वाह, सरोकार नही है। इस तौर पर हम प्रथम पक्षगण को उसका मनमुताबिक उपयोग व उपभोग करने तथा उसका हर प्रकार से अन्तरण करने का कानूनी अधिकार हासिल है। द्वितीय पक्ष अमन सेन्ट्रल इंग्लिश स्कूल छतरीपुर, चुप्पेपुर, वाराणसी के नाम से विद्यालय स्थापित कर उसका संचालन करता है, उसे अपने विद्यालय के संचालन हेतु प्रथम पक्षगण की जायदाद तफसील जैल की आवश्यकता है। इसलिए उसने प्रथम पक्षगण के समक्ष जायदाद तफसील जैल अमन सेन्ट्रल इंग्लिश स्कूल, छतरीपुर, चुप्पेपुर, वाराणसी के संचालन के लिए 30 वर्ष के मियाद पर रू0 10,000/- (दस हजार रूपये) वार्षिक किराये (लीज) पर लेने का प्रस्ताव रखा। जिसे प्रथम पक्षगण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भविष्य में आपस में कोई नाइत्तफाकी या विवाद न पैदा हो सके। इस लेहाज से लीज-डीड तहरीर कर उसे पंजीकृत कराने का निर्णय उभय पक्षों ने लिया है। इसलिए बखुशी व रजामंदी, बदुरुस्ती होश, हवास बिला जब्र व इकराह बसेहतजात व सेवात दस्तावेज हाजा बतौर लीज-डीड तहरीर कर हसब तफसील जैल का पाबन्द होते हैं :-

रामहरष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

VARANASI

— 5 JAN 2016

प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 756536

अनुसार भविष्य में और कमरों का निर्माण प्रथम पक्षगण की सहमति से करा सकेगा।

6. यह कि किरायेदारी (लीज) की मियाद 30 वर्ष की होगी। बाद बीतने मियाद यह लीज-डीड स्वतः समाप्त समझी जायेगी और आपसी सहमति की दशा में पुनः अग्रिम तयशुदा अवधि के लिए दोबारा निर्धारित शर्तो व तय मियाद के लिए तहरीर की जा सकेगी। ऐसा न होने की दशा में लीज की मियाद 30 वर्ष समाप्त होते ही द्वितीय पक्ष जायदाद तफसील जैल का कब्जा जिस स्थिति में प्रथम पक्षगण से ले रहा है, उसी दशा में उसका कब्जा दखल उन्हें वापस कर देगा।

7. यह कि फरीकैन मजमून दस्तावेज हाजा खूब पढ़ व पढ़वाकर, सुन व सोच व समझकर इसकी तमाम शर्तो को कबूल व मंजूर करते हुए यह चन्द कलमा लाकलागी बतरीक किरायेदारी (लीज-डीड) तहरीर कर दिए ताकि सनद रहे तथा वक्त जरूरत पर काम आवे।

8. यह कि बमुताबिक कानून लीज-डीड जो 30 वर्षो के लिए तहरीर किया जा रहा है, वार्षिक किराये का छः गुना मु0 60,000/- रूपया होता है, जिसपर 4 प्रतिशत की दर से मुनासिब स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

रामहरख

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

VARANASI

5 JAN 2016

प्रदेश UTTAR PRADESH CU 756534

6

साक्षी 2. नाम - छेदालाल

पिता का नाम - सुखराज

पूरा पता - ग्राम - पुष्पेपुर

परगना शिवपुर वाराणसी

22.1.16

मसविदाकर्ता - भैयालाल, एडवोकेट

कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी।

टाइपकर्ता - ए०आर० कम्प्यूटर

शाप नं. 4, कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी।

रामशरन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

5 JAN 2016

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH CU 756535

तफसील जायदाद

वाका मौजा छतरीपुर, परगना शिवपुर, जिला वाराणसी आराजी नम्बर 128 रकबा 0.2520 हेक्टेयर व मौजा चुप्पेपुर, परगना शिवपुर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बरी 450 रकबा 0.3580 हेक्टेयर जो दोनो आराजियात मौके पर दोनों मौजे के सरहद पर स्थित है और एक-दूसरे से सटी हुयी है, जिसमें भू-तल पर कुल 11 कमरे निर्मित है तथा प्रथम तल पर 10 कमरे निर्माणाधीन है, मय हस्ब चौहद्दी जैल :-

पूरब : चकरोड।
पश्चिम : जमीन स्व0 कल्लू पटेल वगैरह।
उत्तर : सड़क चुप्पेपुर मार्ग।
दक्षिण : चकरोड बादहू खेत काशीनाथ, कमलेश वगैरह।

तहरीर तारीख :- 22.01.2016

साक्षी -1. नाम - C S Singh
पिता का नाम - रामदरश सिंह
पूरा पता - ग्रा० चुप्पेपुर
परगना- शिवपुर
वाराणसी

रामदरश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH CU 756537

1. यह कि प्रथम पक्षगण जायदाद तफसील जैल के असल मालिक है व रहेगें। बाद वफात प्रथम पक्षगण उसके असल मालिक उनके विधिक वारिसान होगें।
2. यह कि प्रथम पक्षगण ने जायदाद तफसील जैल का कब्जा दखल आज की तारीख से द्वितीय पक्ष को हस्तगत कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार हासिल होगा कि वे उसपर बतौर किरायेदार काबिज दखील रहकर उसका उपयोग व उपभोग विद्यालय संचालन हेतु करेगें।
3. यह कि जायदाद तफसील जैल के रख-रखाव, मरम्मत, रंगायी-पोताई, विद्युत व जलकर व्यय की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. यह कि जायदाद तफसील जैल की किरायेदारी आज की तारीख से प्रारम्भ हो गयी है और द्वितीय पक्ष को यह लाजिमी होगा कि वह प्रत्येक वर्ष की प्रथम माह की 10 तारीख तक किराये की अदायगी नियमित रूप से प्रथम पक्षगण को करता रहेगा। इस वर्ष का किराया रू0 10,000/- (दस हजार रूपये) वार्षिक द्वितीय पक्ष ने आज ही प्रथम पक्षगण को अदा कर दिया है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद तफसील जैल का उपयोग सिर्फ विद्यालय संचालन हेतु करेगा, उसका उपयोग किसी दूसरे मद में नहीं करेगा न तो उसमें कोई शिकमी किरायेदार आबाद करेगा तथा द्वितीय पक्ष विद्यालय की आवश्यकता के